कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव) उत्तराखंड

5– चन्द्रबनी, पोस्ट मोहब्बेवाला, देहरादून (उत्तराखंड) फोन/फैक्स – 0135– 2644691 email : cwlwua@yahoo.co.in

पत्र संख्या 1328 / 6-6 दिनांक, शिविर, देहरादून, दिसम्बर 4 2014

आदेश

बन्दरों के द्वारा आये दिन मनुष्यों को हताहत करने व उनके द्वारा कृषकों की फसल क्षति करने की घटनायें प्राप्त होती रहती है और यह समस्या मानव वन्य जीव संघर्ष का पर्याय बन गई है। इस कम में पूर्व में जारी किये गये आदेशों को अतिकमित करते हुये उत्तराखण्ड शासन से अनुमोदनोपरान्त वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 यथा संशोधित 2006 की धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक या प्राधिकृत अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अनुसूची 2, अनुसूची 3, या अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट कोई वन्य प्राणी मानव जीवन के लिये या सम्पत्ति (जिसके अन्तर्गत किसी भूमि पर खड़ी फसल) के लिये हानिकारक हो गया है या ऐसा निःशक्त या रोगी है कि ठीक नही हो सकता है तो वह लिखित आदेश द्वारा और उसके लिये कारण दर्शाते हुये किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में ऐसे प्राणी या प्राणियों के समूह का आखेट करने या उस विनिर्दिष्ट क्षेत्र में ऐसे प्राणी या प्राणी समूह का आखेट करवाने की अनुज्ञा दे सकेगा। अतः लाल बन्दर *(Rhesus macaque)* समस्या के त्वरित निराकरण हेतु वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 यथा संशोधित 2006 की धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रतिनिधायन धारा 5(2) के अधीन करते हुये चिन्हित लाल बन्दरों का आखेट करने हेतु अपर मुख्य वन्य जीव प्रतिपालकों (क्षेत्रीय वन संरक्षक), उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक (क्षेत्रीय प्रभागीय वनाधिकारी), वन्य जीव प्रतिपालक (क्षेत्रीय सहायक वन संरक्षक), सहायक वन्य जीव प्रतिपालकों (क्षेत्रीय वन क्षेत्राधिकारी, क्षेत्रीय उप वन क्षेत्राधिकारी, क्षेत्रीय वन दरोगा) को संरक्षित/आरक्षित वन क्षेत्रों से बाहर करने का अधिकार निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के तहत प्रदत्त किया जाता है। **यह अनुमति उक्त प्रतिनिधायन अधिकारियों द्वारा आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिनों तक मान्य होगी, इसके पश्चात स्वतः समाप्त समझी जायेगी।**

1. अनुमति प्राप्त करने के लिए विधिवत आवेदन करना होगा।
2. आवेदन पत्र पर स्थानीय ग्राम प्रधान की संस्तुति अनिवार्य होगी।
3. प्राप्त अनुमति के अधीन जंगली जीव के आखेट की कार्यवाही वन क्षेत्रों से बाहर की जायेगी। चोट लगने से घायल जंगली जीव का पीछा वन क्षेत्रों के भीतर नही किया जायेगा।
4. आखेट केवल गैर वन भूमि में ही किया जायेगा।
5. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 यथा संशोधित 2006 का पूर्णतः पालन किया जायेगा।
6. **आखेट की परिभाषा वही होगी जो वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 यथा संशोधित 2006 की धारा 2 (16) के खण्ड (ख) में वर्णित किसी वन्य प्राणी या बन्दी प्राणी को पकड़ना, जाल में फांसना, हांका लगाना या चारा डालकर फंसाना तथा ऐसे करने का प्रत्येक प्रयत्न' है।**
7. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 यथा संशोधित 2006 की धारा 2 (16) के खण्ड (ख) में वर्णित कुत्तों द्वारा आखेट करना, फंदे में पकड़ना उपरोक्त आखेट में दी जाने वाली अनुमति में मान्य नही होगा।
8. बन्दरों को मारने की अनुमति नही होगी।

(डी०वी०एस० खाती)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक.
उत्तराखण्ड।

Scanned by CamScanner

पृ०सं० 1328 / 6-6 उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव मा० वन मंत्री, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव वन, उत्तराखण्ड शासन को उनकी पत्र संख्या 2782/X-2-19(एस)/2014 दिनांक 10.11.2014 के क्रम में।
4. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. मुख्य वन संरक्षक, गढवाल एवं कुमाँऊ।
6. समस्त वन संरक्षक/निदेशक, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि आप यह सुनिश्चित करेगें कि उक्तानुसार प्रतिनिधानित अधिकारों का किसी भी दशा में दुरप्रयोग न होने पावें।
9. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश के वृहद प्रचार हेतु उक्त आदेश को उत्तराखण्ड के समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करेगें।
10. गार्ड बुक।

(डी०वी०एस० खाती).
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक
उत्तराखण्ड।

Scanned by CamScanner